भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1175
03 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

1175. श्रीमती सुप्रिया सुलेः
श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:
श्री संजय दीना पाटिलः
श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री अमर शरदराव कालेः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) देश के विभिन्न क्षेत्रों में टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने में किस प्रकार विशेष रूप से योगदान देती है;
(ख) टिकाऊ कृषि के संबंध में पीएम-आरकेवीवाई के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं और सरकार इन क्षेत्रों में प्रगति की निगरानी कैसे करती है;
(ग) टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए पीएम-आरकेवीवाई के अंतर्गत आवंटित और उपयोग किया गया कुल बजट क्या है;
(घ) महाराष्ट्र में टिकाऊ कृषि परियोजनाओं के लिए पीएम-आरकेवीवाई के अंतर्गत कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई है;
(ङ) जैविक खेती को समर्थन देने के लिए पीएम-आरकेवीवाई के अंतर्गत क्या पहल की गई है तथा महाराष्ट्र में अब तक इन पहलों से कितने किसानों को लाभ हुआ है;
(च) पीएम-आरकेवीवाई विशेष रूप से टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने में सीमांत और छोटे किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाती है और पीएम-आरकेवीवाई के छोटे और सीमांत किसान लाभार्थियों का प्रतिशत कितना है और उन्हें समर्थन देने के लिए कार्यरत लक्षित पहल क्या है; और
(छ) मंत्रालय द्वारा टिकाऊ खेती के लिए पीएम-आरकेवीवाई के अंतर्गत छोटे स्तर के किसानों को पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षण और सहायता मिलना सुनिश्चित किए जाने का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क): पीएम-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) कुशल संसाधन उपयोग, संरक्षित खेती, एकीकृत कृषि प्रणाली, जलवायु-अनुकूल अभ्यास और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं का वित्तपोषण करके सतत कृषि करने में सहायता करती है। यह योजना मृदा और जल संसाधनों को संरक्षित करते हुए उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे भारत के कृषि-जलवायु क्षेत्रों की विविध जरूरतों को पूरा किया जा सके।

(ख): पीएम-आरकेवीवाई के प्रमुख उद्देश्यों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना, संसाधन दक्षता को बढ़ावा देना, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और जलवायु अनुकूलन सुनिश्चित करना शामिल है। प्रगति की निगरानी राज्य-स्तरीय परियोजना प्रस्तावों, आवधिक समीक्षाओं, तृतीय पक्ष मूल्यांकन और बनाई गई परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग के माध्यम से की जाती है। योजना बनाने से लेकर इसके कार्यान्वयन तक की जानकारी एकत्र करने के लिए एक समर्पित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित की गई है।

(ग): वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, दिनांक 29.11.2024 तक की स्थिति के अनुसार, सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए पीएम-आरकेवीवाई के तहत 7553.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और 3163.98 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(घ) एवं (ङ.): पीएम-आरकेवीवाई के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान महाराष्ट्र राज्य को 611.35 करोड़ रुपये का मूल आवंटन किया गया था। हालांकि राज्यों की मध्यावधि समीक्षा के दौरान महाराष्ट्र राज्य के बेहतर प्रदर्शन के साथ-साथ राज्य द्वारा प्रस्तुत मांग के आधार पर 140.00 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है, जिससे संशोधित आवंटन बढ़कर 751.35 करोड़ रुपये हो गया है। दिनांक 29.11.2024 तक की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य को 305.68 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा कुल आवंटन में से 25.12 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत 6.28 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2023-24 तक स्वीकृत क्षेत्र के लिए पीएम-आरकेवीवाई योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, जैविक खेती के अंतर्गत कुल 66756 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है और 87350 से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं।

(च): पीएम-आरकेवीवाई कम लागत वाली, संसाधन-कुशल कृषि तकनीकों को बढ़ावा देकर सीमांत और छोटे किसानों को प्राथमिकता देती है। लक्षित पहलों में कस्टम हायरिंग सेंटर, फसल विविधीकरण और सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों तक पहुंच शामिल हैं। पीएम-आरकेवीवाई का पीकेवीवाई घटक दो हेक्टेयर से कम औसत जोत आकार वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु कार्यान्वित किया गया है। छोटे और सीमांत किसानों में अलग से कोई अंतर नहीं है।

(छ): छोटे पैमाने के किसानों के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने हेतु, यह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और ऋण तक पहुंच प्रदान करने में सहयोग करता है। किसान फील्ड स्कूल, विस्तार कार्यक्रम और मोबाइल-आधारित परामर्श इस समर्थन कार्य-तंत्र के प्रमुख घटक हैं।

*****